अध्याय 7

कृषि और ग्रामीण विकास

रा.रा.क्षे.दिल्ली में तीव्र शहरीकरण और व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण कृषि गतिविधियां लगातार कम हो रही हैं। यहां ग्रामीण गांवों की संख्या 1981 में 214 थी जो 2011 में घटकर 112 रह गयी।

1.1 दिल्ली के सकल राज्य संवर्द्धित मूल्य (जीएसवीए) के प्रतिशत संवितरण में 2011–12 के मूल्यों पर कृषि और अनुषंगी क्षेत्र के योगदान में कमी की प्रवृत्ति दिखती है। अधिक स्पष्ट करें, तो दिल्ली के सकल राज्य संवर्द्धित मूल्य (जीएसवीए) में कृषि क्षेत्र का योगदान 2011–12 के 0.94 प्रतिशत की तुलना में 2022–23 में घटकर 0.31 प्रतिशत रह गया।

2. जोतों का प्रकार

2.1 दिल्ली में कृषि जोत पद्धति और कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाए जा रहे क्षेत्र के बारे में जानकारी 2015–16 में हुई पिछली कृषि गणना पर आधारित है। दिल्ली में कृषि गणना 2015–16 के अनुसार क्रियाशील कृषि जोतों की कुल संख्या में कृषि गणना 2010–11 की तुलना में 1.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्रियाशील कृषि जोत में 20.35 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि लघु आकार समूह के लिए है और 21.65 प्रतिशत की अधिकतम कमी मध्यम आकार समूह में है। दिल्ली में कुल क्रियाशील भूमि में 2015–16 की कृषि गणना के अनुसार, 2010–11 की तुलना में कुल क्रियाशील भूमि में 2.21 प्रतिशत की कमी नजर आती है। क्रियाशील कृषि जोत के क्षेत्र में 27.95 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि लघु आकार समूह के लिए है और 19.39 प्रतिशत की अधिकतम कमी मध्यम आकार समूह के लिए है।

3. दिल्ली में भूमि उपयोग का स्वरूप

3.1 कुल फसल क्षेत्र जो 2011–12 में 36445 हैक्टेयर था, वह 2021–22 में बढ़ कर 47850 हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार 2022–23 में अनुमानित सकल फसल क्षेत्र घटकर 32984 हैक्टेयर रह गया। दिल्ली के बाकी क्षेत्र अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे गैर–कृषि प्रयोजनों, जंगल, परती भूमि, जोती न जा सकने वाली भूमि आदि। दिल्ली में खेती के क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण विशेषकर पिछले दो दशकों के दौरान तेजी से हो रहा शहरीकरण और रोजगार शैली में बदलाव है। इससे दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान में कमी आयी है। दिल्ली में जमीन के उपयोग के स्वरूप के बारे में जानकारी तालिका 7.1 (परिशिष्ट) में दी गयी है।

4. फसल सघनता

4.1 फसल सघनता कृषि के विकास की सूचकांक है और इसका सीधा संबंध सिंचाई सुविधाओं से है। इसे सकल फसल क्षेत्र और विशुद्ध बुआई क्षेत्र के प्रतिशत अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। अतः फसल सघनता का अर्थ है, कृषि वर्ष के दौरान एक ही खेत से उगाई जाने वाली फसलों की संख्या का बढ़ना। यदि एक वर्ष में एक फसल उगाई जाएगी तो फसल सघनता का सूचकांक 100 होगा

और यदि दो फसलें उगाई जाएंगी तो यह 200 होगा। सूचकांक जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। फसल सघनता का सुनिश्चित सिंचाई के साथ प्रत्यक्ष सह–संबंध है, जो किसानों को अधिक फसलें उगाने और उर्वरकों तथा अधिक पैदावार देने वाले (एचवाईवी) बीजों का अधिक इस्तेमाल करने में सक्षम बनाती है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में फसल सघनता के बारे में जानकारी विवरण 7.1 में दी गई है।

विवरण 7.1
2012–13 से 2022–23 के दौरान दिल्ली में फसल सघनता

(हैक्टेयर)

क्र. सं.	वर्ष	विशुद्ध बुआई क्षेत्र	सकल फसल क्षेत्र	फसल सघनता (प्रतिशत)
1.	2012-13	23118	35,178	152
2.	2013-14	23,150	34,312	148
3.	2014-15	23,150	34,312	148
4.	2015-16	23,150	34,312	148
5.	2016-17	23,150	34,750	150
6.	2017-18	23,150	34,750	150
7.	2018-19	22,300	33,455	150
8.	2019-20	29,000	43,500	150
9.	2020-21	29,241	43,569	149
10.	2021-22	29,000	47,850	165
11.	2022-23*	21,700	32,984	152

** (सब्जियों, फूलों की खेती को छोड़कर)*

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार और दिल्ली सांख्यिकी पुस्तिका

चार्ट 7.1
दिल्ली में फसल सघनता

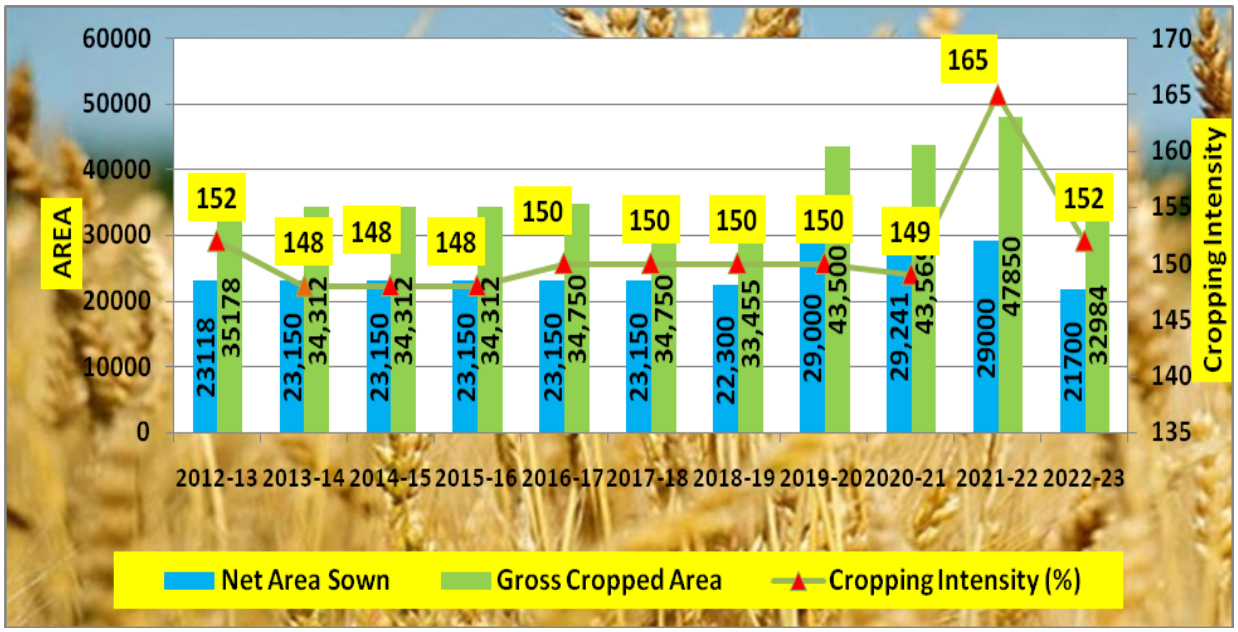

4.2 विवरण 7.1 में देखा जा सकता है कि फसल सघनता जो 2021–22 में 152 प्रतिशत थी, वह 2022–23 में भी इतनी ही थी।

5. फसल पद्धति

5.1 फसल पद्धति किसी जमीन पर बोई जाने वाली फसलों का क्रमिक संयोजन है। खरीफ में धान, ज्वार (चारा) तथा बाजरा और रबी में गेहूं तथा सरसों दिल्ली की प्रमुख फसलें हैं। सब्जियों की खेती पूरे साल होती है। 2021–22 के दौरान कुछ चुनी हुई फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उपज संबंधी जानकारी नीचे विवरण 7.2 में दी गई है। दिल्ली में 2007–08 से 2021–22 अनाज की फसलों का पैदावार पैटर्न तालिका–2 (परिशिष्ट) में दिया गया है।

विवरण 7.2

2021–22 में दिल्ली में फसलों का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

क्र. सं.	फसल	क्षेत्र (हैक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)	उत्पादकता (कि.ग्रा प्रति हैक्टेयर)
1.	गेहूं	19,180	83,631	4,360
2.	जौ	50	150	3,000
3.	बाजरा	1,325	5,340	4,030
4.	मक्का	22	112	5091
5.	धान	6,171	29,620	4,800
6.	सरसों	3,650	7,300	2,000

स्रोत : विकास विभाग, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

5.2 विवरण 7.2 में देखा जा सकता है कि 2021–22 में दिल्ली की मुख्य फसल गेहूं थी।

5.3 वर्तमान में उच्च मूल्य–संवर्द्धित कृषि गतिविधियों की तुलना में पारम्परिक खेती से आमदनी बहुत कम है। इसीलिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार किसानों को सब्जियां, फूल और मशरूम आदि उगाने के लिए प्रेरित कर रही है।

6. किसान प्रशिक्षण

6.1 कृषक प्रशिक्षण एवं शिक्षा केन्द्र के विभिन्न कार्यक्रमों और फसल अवशेष प्रबंधन के अंतर्गत पराली प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित 73 प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन शिविरों में 1372 किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जबकि 31 अक्टूबर 2022 तक आयोजित 28 प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन शिविरों में 653 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

7. बागवानी/फूलों की खेती

7.1 बागवानी फलों, सब्जियों, मसालों, मशरूम और फूलों के उत्पादन से संबंधित प्रमुख विविध गतिविधि है। बागवानी निदेशालय जागरूकता लाने के लिए योजनाएं चला रहा है और फूलों तथा सब्जियों की खेती, वर्मी–खाद, जैविक खेती आदि के बारे में आधुनिक तकनीकों का प्रदर्षन कर रहा है। 2021–22 में 2450 किसानों को 98 किसान गोष्ठियों में बागवानी/फूलों की खेती के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। द्वारका, पटपड़गंज, हौजरानी, लिबासपुर, मसूदाबाद, चिल्ला और खारखारी नहर में नर्सरियां मुख्य रूप से सब्जियों के बीज तथा पौद, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, सजावटी फूलों के पौधों, औषधीय पौधों आदि के विकास/उत्पादन से संबंधित हैं। दिल्ली में 2021–22 और 2022–23 (दिसंबर 2022 तक) में इनसे संबंधित उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है:–

विवरण 7.3
बागवानी/फूलों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र और पैदावार

क्र.सं.	मदों का ब्यौरा	2021-22		2022-23	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2022 तक)
1.	फूलों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	6530	6354	6530	5657
2.	सब्जियों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर में)	23500	24543	23500	21126
3.	फलों/सब्जियों की पैदावार (मी.टन में)	370500	370048	370500	274139
4.	ग्राम सभा/सामुदायिक/सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण (संख्या)	1000	1000	1000	1060

स्रोत : बागवानी यूनिट, पर्यावरण विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

विवरण 7.4
बीजों, पौधों, पौध और वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन

क्र.सं	विवरण	2021-22		2022-23	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2022 तक)
1.	सजावटी पौधे (संख्या में)	37000	34857	37000	27342
2.	बलबस पौधों के बल्ब (संख्या में)	4000	3850	4000	3600
3.	फूलों की पौध (संख्या में)	300000	285000	300000	147570
4.	फूलों के बीज (कि.ग्रा. में)	40	38.95	60	85.8
5.	सब्जियों की पौध (संख्या में)	600000	472000	600000	154051
6.	सब्जियों के बीच (कि.ग्रा. में)	700	595	700	30.2
7.	वर्मी कम्पोस्ट (कि.ग्रा. में)	40000	44740	400000	308880
8.	औषधीय पौधे (संख्या में)	20000	22260	20000	10440

स्रोत : बागवानी इकाई, पर्यावरण विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

7.2 दिल्ली में फसलों के क्षेत्र में निरंतर गिरावट के कारण, कम भूमि पर सब्जियों और हर्बल फसलों की खेती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाइड्रोपोनिक्स की आधुनिक तकनीकों को लोकप्रिय बनाया जाएगा। इसी तरह, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन (एनबीएचएम–सीएसएस) को रा.रा.क्षे. दिल्ली में आरंभ करने की योजना है।

7.3 किसानों की आय तथा रोजगार बढ़ाने और बड़े पैमाने पर लोगों की जरूरतें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, दिल्ली में फलों और सब्जियों के लिए 'एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला निर्माण' परियोजना को, ''एकीकृत विकास बागवानी मिशन'' (एमआईडीएच) के साथ एकीकृत किया जाना है। दिल्ली में पहले से ही कार्यरत है। इसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाना और उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर तथा आसानी से सब्जियां और फल उपलब्ध कराना है।

8. मृदा परीक्षण और मृदा सुधार

रा.रा.क्षे.दिल्ली के किसानों के मृदा और जल नमूनों के परीक्षण के लिए सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। विवरण 7.5 में उल्लिखित लक्ष्यों के संदर्भ में 2021–22 और 2022–23 के दौरान (अक्टूबर, 2022 तक) हासिल गतिविधियाँ/मापदंड निम्न प्रकार हैं:

विवरण 7.5

मृदा जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना

क्र.सं.	गतिविधियाँ (संख्या में)	2021-22		2022-23	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अक्टूबर 2022 तक)
1.	मृदा नमूनों की जांच	400	408	400	00
2.	जल नमूनों की जांच	45	04	45	05
3.	जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड	400	Nil	400	195

9. दिल्ली में सिंचाई

9.1 दिल्ली में सिंचाई मुख्य रूप से भूजल से और आंशिक रूप से सतही जल से होती है। भूजल से होने वाली सिंचाई उथले और गहरे सरकारी ट्यूबवैलों से होती है जबकि सतही जल से होने वाली सिंचाई कॉरोनेशन पिलर, ओखला और केशोपुर स्थित मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्र में उपचारित पानी से होती है। इसके अलावा हरियाणा सरकार के नियंत्रण वाली पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली का पानी भी सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है।

9.2 दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बड़ी तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन कम हो रहा हैं। दिल्ली के मास्टर प्लान 2022 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी समूची दिल्ली के शहरीकरण का प्रस्ताव किया है। इसलिए भविष्य में सिंचाई क्षेत्र में किसी तरह की बढ़ोतरी संभव नहीं है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में सिंचाई और सिंचित क्षेत्र का स्रोतवार विवरण तालिका 7.3 (परिशिष्ट) में दिया गया है :

चार्ट 7.2

दिल्ली में 2012–13 से 2022–23 के दौरान सिंचाई और सिंचित क्षेत्र का स्रोतवार विवरण

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

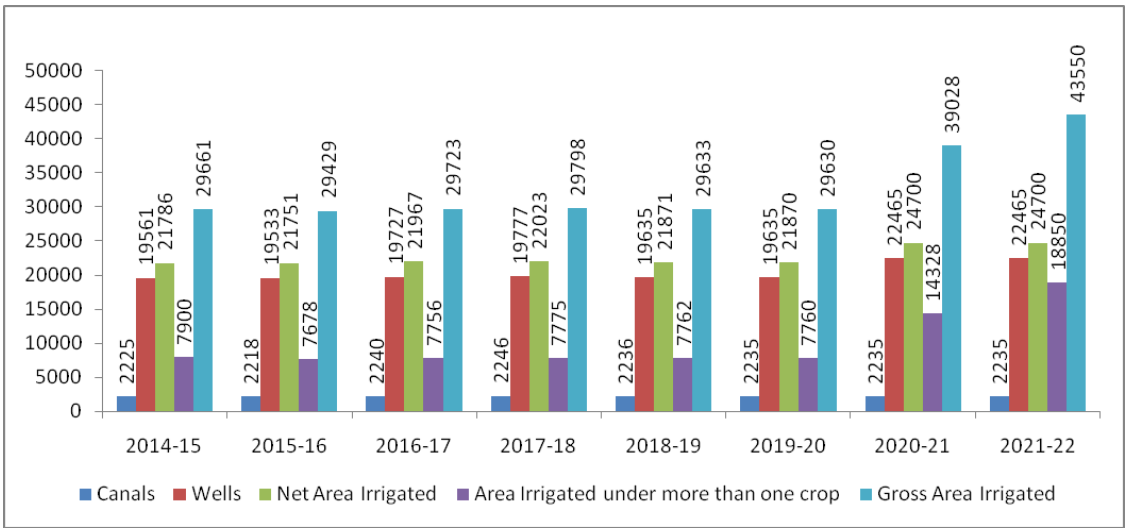

स्रोतः राजस्व और विकास विभाग, जीएनसीटीडी
दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक, डीईएस, जीएनसीटीडी

9.3 वर्षा भी दिल्ली में सिंचाई के अन्य मुख्य स्रोतों में से एक है। आम तौर पर, दिल्ली में वर्षा तीन महीनों, अर्थात् जुलाई, अगस्त और सितंबर में संकेंद्रित होती है। दिल्ली में पिछले तेरह वर्षों के दौरान विशेष रूप से जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में वर्षा का विवरण तालिका 7.4 (परिशिष्ट) में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 7.3

दिल्ली में वर्षा (जुलाई से सितम्बर)

(मि.मी में)

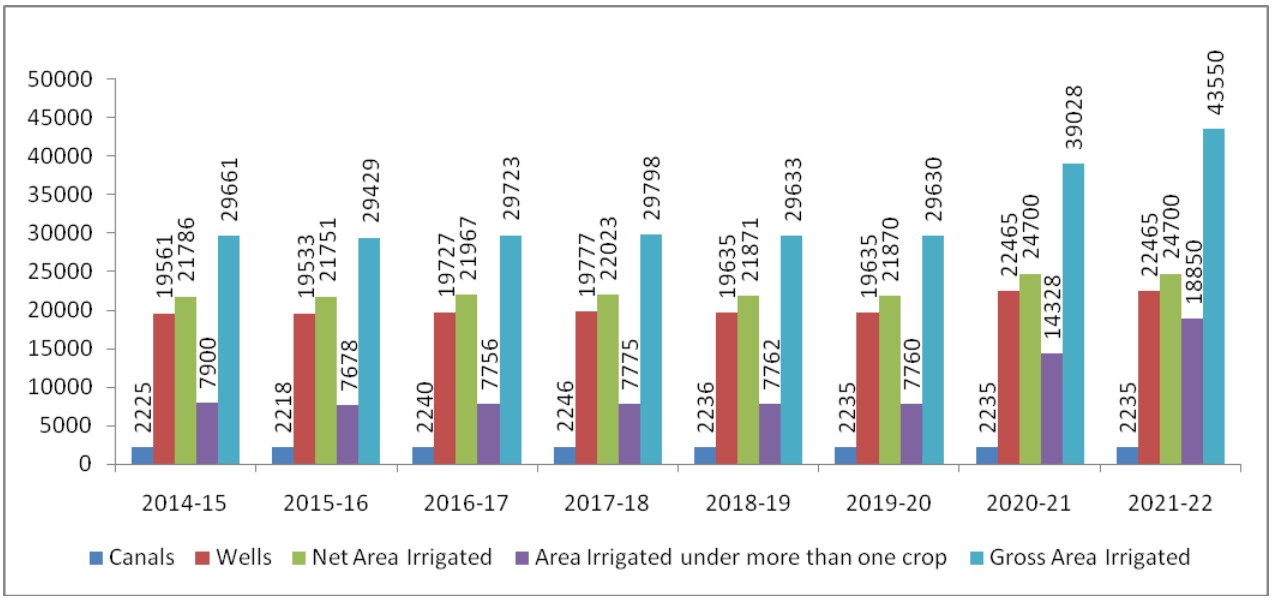

स्रोत: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली और दिल्ली सांख्यिकीय पुस्तकालय

9.4 उपरोक्त ग्राफ से देखा जा सकता है कि 2010 और 2022 के दौरान दिल्ली में बारिश तीनों महीनों के दौरान सामान्य से अधिक थी। हालांकि, 2007, 2014 और 2019 में इन तीनों महीनों के दौरान वर्षा सामान्य से कम हुई थी। 2022 के सितंबर महीने में बारिश सामान्य से काफी अधिक थी।

10. पशुपालन

10.1 कृषि क्षेत्र में पशुधन एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करता है। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें घरेलू पशुओं की देखभाल की जाती है जो मुख्य रूप से प्रोटीन स्रोत के लिए भोजन और खाद्य उत्पादों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भोजन/चारा/चरागाह भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण पशुपालन का दायरा लगातार कम होता जा रहा है। दिल्ली एक उपभोक्ता राज्य बन गया है जिसमें अन्य राज्यों से पशुधन और पशुधन उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। 20वीं पशुधन गणना (2019) के अनुसार पशुधन की संख्या 19वीं पशुधन गणना (2012) की 3,66,397 से घटकर 3,07,267 रह गई। वर्तमान में पशुपालन इकाई 78 पशु चिकित्सा अस्पतालों, औषधालयों और प्रयोगशाला के नेटवर्क के माध्यम से पशुधन और साथी जानवरों को पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है।

10.2 2012 और 2019 के दौरान दिल्ली में पशुधन की गणना के बारे में जानकारी विवरण 7.8 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 7.8

दिल्ली में पशुधन और इसका विकास : 2012 और 2019

क्र.स.	पशुधन	पशुधन गणना (संख्या)		वृद्धि (%)	
		2012	2019	% (2012–2019 के दौरान)	प्रति वर्ष
1.	गाय	86433	124638	44.2	6.31
2.	भैंस	162142	157675	-2.75	-0.39
3.	भेड़	932	2003	115	16.42
4.	बकरियां	30470	17085	-44	-6.28
5.	अन्य	86420	5866	-93	-13.28
	कुल	**366397**	**307267**	**-16.13**	**-2.30**

10.3 विवरण 7.8 से अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली में पशुधन में नकारात्मक वृद्धि (–16.13% की) दर्ज हुई है। पशुधन की सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि 16.42 प्रतिशत भेड़ों में दर्ज हुई। इसी प्रकार, गायों के मामले में 6.31 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, अन्य मवेशियों में भी सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि –13.28 प्रतिशत वार्षिक दर्ज हुई, जिसमें बकरियों में –6.28 प्रतिशत और भैंसों में –0.39 प्रतिशत नकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। पशुधन की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण कृषि और संबद्ध गतिविधियों में गिरावट और दिल्ली में तेजी से शहरीकरण को माना जा सकता है।

11. पशु चिकित्सा सुविधाएं

11.1 दिल्ली में पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 48 सरकारी पशु चिकित्सालय, 29 पशु औषधालय, 1 प्रयोगशाला, 1 किसान सूचना केंद्र और 2 चल क्लिनिक हैं। मुख्य उद्देश्य संक्रामक/*संसर्गज* रोगों को नियंत्रित करना है जैसे हेमोरहाजिक सेप्टीसीमिया (गलघोटू) और मुंह तथा खुरपका, रिंडर–पेस्ट, रेबीज आदि। पशुधन के आनुवंशिक उन्नयन के लिए गायों और भैंसों में फ्रोज़न वीर्य के साथ मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान प्रदान किया जाता है। पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। पालम स्थित रोग निदान प्रयोगशाला में पशु रोग निदान सुविधा उपलब्ध है। नमूनों की जांच निःशुल्क की जाती है। सरकारी पशु चिकित्सालय/औषधालय में उपचारित पशुओं की संख्या वर्ष 2011–12 की 4,15,986 से बढ़कर वर्ष 2021–22 के दौरान 5,10,999 हो गई जबकि 2022–23 में सितंबर 2022 तक 2,73,049 पशुओं का उपचार किया गया। दिल्ली में प्रदान की जा रही पशु चिकित्सा सेवाओं की जानकारी विवरण 7.9 और 7.10 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 7.9
दिल्ली में 2011–12 से 2022–23 के दौरान पशुचिकित्सा सेवाएं

क्र.सं.	वर्ष	पशुचिकित्सा केन्द्र (संख्या)			उपचारित पशु
		अस्पताल (एक पशुचिकित्सा पोली क्लिनिक सहित)	औषधालय	प्रयोगशाला अनुसंधान केन्द्र	
1.	2011-12	46	28	2	415986
2.	2012-13	47	28	1	391152
3.	2013-14	47	28	-	378359
4.	2014-15	47	28	-	367518
5.	2015-16	47	28	2	412363
6.	2016-17	47	28	2	438504
7.	2017-18	49	26	2*	469474
8.	2018-19	49	26	2*	460769
9.	2019-20	48	29	2*	582242
10.	2020-21	48	29	2*	511562
11.	2021-22	48	29	2*	510999
12.	2022-23	48	29	2*	273049 (सितंबर 2022 तक)

**1 प्रयोगशाला और 1 किसान सूचना केंद्र*
स्रोत : विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

11.2 सुदूर क्षेत्रों में पशुओं के उपचार की सुविधा के लिए दक्षिणी पश्चिम और उत्तरी पश्चिम जिले में दो (02) मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक कार्यरत हैं। विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय तीस हजारी में एक 24X7 आपातकालीन सेवां तथा वीएच गाजीपुर और वीएच पालम में पूर्वाह्न 08:00 से अपराह्न 08:00 तक दो सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

विवरण 7.10
भौतिक उपलब्धियां 2021–22 और 2022–23 के दौरान

क्र. सं.	गतिविधि	लक्ष्य 2021–22	उपलब्धि 2021–22	लक्ष्य 2022–23	उपलब्धि 2022–23 (सितम्बर तक)
1.	बीमार पशुओं का उपचार (लाख में)	6.00	510999	6.00	273049
2.	हैमरेजिक सेप्टिसीमिया और एफएमडी रोग से बचाव के टीके	एचएस–2.5 लाख (1 बार) एफएमडी–2.5 लाख (छह महीने के अंतराल पर दो बार)	148130 108303	एचएस–1.53 लाख (1 बार) एफएमडी–2.5 लाख (छह महीने के अंतराल पर दो बार)	77280 2744
3.	एंटी रेबीज़ टीके डीएलएचपीपीआई टीके	1 लाख N.A.	85979 19795	1 लाख N.A.	36087 10197
4.	गो–सदनों में रखे गए पशु	22000	29176	22000	16054
5.	बांझपन उपचार के मामले	25000	14044	10000	7327
6.	प्रयोगशाला में जांच के मामले	-	2137	3000	1415

स्रोत : पशु चिकित्सा निदेशालय, जीएनसीटीडी

12. स्वायत्त/सहायता अनुदान संस्थान

12.1 पशु कल्याण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड (एसएबीएडब्ल्यू)

पशु कल्याण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड–एसएबीएडब्ल्यू रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए एक गैर–संस्थागत निकाय है, जो रा.रा.क्षे. दिल्ली में ऐसी गतिविधियों में लगे गैर सरकारी संगठनों/एडब्ल्यूओ को सहायता अनुदान जारी करने सहित विभिन्न पशु कल्याण गतिविधियों से संबंधित है। बोर्ड डीएसपीसीए सहित गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को मान्यता देता है और उन्हें रखरखाव, स्वास्थ्य देखभाल, अनुत्पादक/परित्यक्त/पीड़ित जानवरों/शोषित/किसी अदालती मामले में सुरक्षित रखे गए पशुओं के स्थान और अन्य संबंधित कल्याणकारी गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है। बोर्ड पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत बनाए गए विभिन्न नियमों के कार्यान्वयन के लिए नियामक/निगरानी निकाय भी है, जिनमें विशेष रूप से पीसीए (डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग) नियम, 2017/पीसीए (केस प्रॉपर्टी एनिमल्स की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017/पीसीए (पेट शॉप) नियम, 2018 शामिल हैं।

12.2 जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए दिल्ली सोसायटी (एसपीसीए)

एसपीसीए, जानवरों के प्रति क्रूरता अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को लागू कर रहा है। तीस हजारी में डीएसपीसीए के तहत पशुशाला, जानवरों को आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। डीएसपीसीए पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत जब्त संपत्ति वाले जानवरों को भी रखता है। यह जानवरों के प्रति प्रेम और करुणा के लिए जनता में जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। पीसीए अधिनियम, 1960 के तहत 2021–22 के दौरान 12612 पशु मुक्त कराए गए, 219 वाहन जब्त किए गए और 16,60,345 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, सितंबर 2022 तक पीसीए अधिनियम, 1960 के अंतर्गत 10,068 पशुओं को बचाया गया, 93 वाहनों को जब्त किया गया और 8,88,960 रुपये एकत्र किए गए।

12.3 गौशाला/गौसदन

दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 10 के अनुसरण में, वर्ष 1995 में 05 गौशालाओं/ गौसदनों की स्थापना की गई। वर्तमान में, चार गौसदन (1) श्री कृष्ण गौसदन, सुल्तानपुर डबास (2) गोपाल गौसदन, हरेवली (3) डाबर हरे कृष्णा गौसदन, सुरहेड़ा (4) मानव गौसदन, रेवला खानपुर काम कर रहे हैं और लगभग 16051 गायों और उनकी संतानों की देखभाल की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की गौशालाओं/गौसदनों में मवेशियों के स्वास्थ्य के रखरखाव और पशुओं के उचित भोजन, पानी, आश्रय आदि के उद्देश्य से गैर सरकारी संगठनों को प्रति दिन प्रति मवेशी 20/–रुपये की दर से सहायता अनुदान का भुगतान किया जाता है।

13. मछली पालन

14.1 मात्स्यिकी इकाई का कार्य पंजाब मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1914 और भारतीय मत्स्य उद्योग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के तहत मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों का नियमन करना तथा

इसके विनाशकारी तौर–तरीकों और अंधाधुंध मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। मछली के जीरे और मछलियों के उत्पादन के बारे में वर्षवार जानकारी विवरण 7.11 में दी गयी ळें

विवरण 7.11

दिल्ली में 2011–12 से 2022–23 तक मछली जीरा और मछली उत्पादन

क्र.स.	वर्ष	मछली जीरा उत्पादन (लाख)	मछली उत्पादन (टन)
1.	2011-12	13.00	740
2.	2012-13	15.25	690
3.	2013-14	18.25	680
4.	2014-15	16.20	675
5.	2015-16	16.20	710
6.	2016-17	16.15	740
7.	2017-18	20.00	801
8.	2018-19	2.02	785
9.	2019-20	15.00	860
10.	2020-21	-	758
11.	2021-22	-	725
12.	2022-23 (सितम्बर 2022 तक)	-	430

स्रोत : पशु चिकित्सा निदेशालय, जीएनसीटीडी

13.2 तेजी से शहरीकरण के कारण दिल्ली में मत्स्य गतिविधियों में तेजी से कमी आई है। बायो–फ्लोक कल्चर, री–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, (आरएएस), सजावटी मछली प्रजनन/खेती और पैदावार–परवर्ती कार्यों के बुनियादी ढांचे के विकास आदि के लिए उच्च तकनीक वाली मत्स्य गतिविधियों की पर्याप्त गुंजाइश है। इन गतिविधियों से किसानों की आय में काफी वृद्धि होगी। इससे दिल्ली में स्थानीय युवाओं, मछुआरों, अजा/अजजा समुदायों और उद्यमियों के लिए रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। तद्नुसार विभाग लाभार्थी उन्मुखी परियोजनाओं–तालाब बायोफ्लोक (04), बायो–फ्लोक कल्चर सिस्टम 25 टैंक (01) और री–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, (आरएएस) (01), का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के अंतर्गत वर्तमान वर्ष 2022–23 में 251 मछुआरों को मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान किया गया।

14. ग्रामीण विकास

जनगणना 2011 के अनुसार, दिल्ली का कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किमी था, जिसमें से दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र 369.35 वर्ग कि.मी. (24.91प्रतिशत) है । दिल्ली की 2.5 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रह रही थी। कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे–जैसे प्रगतिशील अवस्था की ओर बढ़ती है, ग्रामीण क्षेत्र स्वतः ही शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, फलस्वरूप गांवों की संख्या और ग्रामीण आबादी कम हो जाती है। दिल्ली में गांवों की संख्या 1951 में 304 से घटकर 2011 में 112 हो गई। पिछले सात दशकों के दौरान गांवों, ग्रामीण आबादी के बारे में जानकारी विवरण 7.12 में प्रस्तुत की गई है।

विवरण 7.12

दिल्ली की ग्रामीण आबादी 1951–2011

क्र.स.	वर्ष	गांव (संख्या)	जनसंख्या		
			ग्रामीण	कुल	कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत
1	1951	304	306938	1744072	17.60
2.	1961	276	299204	2658612	11.25
3.	1971	243	418675	4065698	10.30
4.	1981	214	452206	6220406	7.27
5.	1991	199	949019	9420644	10.07
6.	2001	165	944727	13850507	6.82
7.	2011	112	419042	16787941	2.50

स्रोत : दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक, 2021

15. दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड

15.1 कैबिनेट निर्णय संख्या 2520 दिनांक 13.11.2017 के अनुसार दिनांक 20.12.2017 के आदेश द्वारा दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड (डीआरडीबी) के स्थान पर 'दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड (डीवीडीबी)' का गठन किया गया।

15.2 दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड दिल्ली के सभी ग्रामीण और शहरी गांवों में बुनियादी ढांचा विकास के बारे में वहां के निवासियों के अनुरोध पर निर्वाचित प्रतिनिधियों (संसद सदस्यों/विधायकों) के साथ विचार करता है। यह परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के बारे में अनुशंसा करता है और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। बोर्ड के कार्यों में निम्नांकित शामिल हैं।

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा ढांचागत खामियों का अध्ययन करना।

(ख) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विचार करना और प्राथमिकता निर्धारित करते हुए तत्संबंधी अनुशंसा करना।

(ग) कार्यों के स्वरूप और यदि कोई अतिव्यापकता हो तो उसकी जांच करना, ताकि सेवाओं के प्रावधान में सुधार लाया जा सके और जनशिकायतों का निबटारा शीघ्र हो सके।

(घ) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा करना और ऐसी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में सरकार के विभिन्न संगठनों और विभागों के बीच कारगर समन्वय के उपायों की सिफारिश करना।

(ङ) डीवीडीबी द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों में लाल डोरा क्षेत्रों के अंतर्गत सिजरा सड़कों तथा सरकारी भूमि पर सार्वजनिक सेवाओं के बारे में निम्नांकित प्रकार के कार्यों की अनुशंसा की जाएगी, परंतु, किसी भी तरह की अनधिकृत कालोनियों और डीयूएसआईबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पुनर्वास कालोनियों तथा झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के बारे में बोर्ड अनुशंसा नहीं करेगा :

i) एप्रोच सड़कों/संपर्क सड़कों/ग्रामीण सड़कों का निर्माण।

ii) निकासी सुविधाओं का निर्माण।

iii) शमशान भूमि, पार्क, खेल के मैदान, व्यायामशाला, ग्राम पुस्तकालय आदि का विकास।

iv) तालाबों और जल निकायों का विकास।

v) चौपालों, बारातघरों, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण/मरम्मत/रख–रखाव।

vi) पेयजल सुविधा, गलियों में प्रकाश आदि जरूरतों के अनुरूप अन्य कार्य।

16. ग्राम विकास समितियां (वीडीसी)

गांवों में उपलब्ध सुविधाओं, अपेक्षित सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए आधार सर्वेक्षण करने में डीवीडीबी की सहायता करने और समग्र विकास की आवश्यकता वाले ग्रामीण/शहरी गांवों में प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, डीवीडीबी द्वारा दिल्ली के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी गांव के लिए ग्राम विकास समितियों (वीडीसीज़) का गठन कर सकता है। माननीय विधायकों की विधिवत अनुशंसा पर डीवीडीबी के अनुमोदन के बाद ग्राम विकास इकाई द्वारा अभी तक 339 समितियों के गठन के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।

अध्याय एक नज़र में

➢	प्रचलित मूल्योां पर दिल्ली के जीएसवीए में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत योगदान 2011–12 के 0.94 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में 0.31 प्रतिशत रह गया।
➢	2021–22 में आयोजित 98 किसान गोष्ठियों में 2450 किसानों को बागवानी/फूलों की खेती में नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।
➢	20वीं पशुधन गणना (2019) के अनुसार, दिल्ली0 में पशुधन की संख्या 19वीं पशुधन गणना (2012) की 3,66,397 से घटकर 3,07,267 रह गयी।
➢	दिल्ली में गांवों की संख्या 1951की 304 से घटकर 2011 में 112 रह गई।